

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक : २२७/२५

दिनांक ३.१०.२५

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री किशनलाल

पुत्र/दुत्री/अति गंगाराम

ने प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पटवारी गण्डल तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् २०७५-७८ के खाता संख्या २५५/१६० में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति किशनलाल पुत्र गंगोलिप्रा अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से

से करवाने पर पटवारी ने किशनलाल पुत्र गंगोलिप्रा के बजाय किशनलाल पुत्र गंगाराम करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में किशनलाल गंगोलिप्रा के बजाय किशनलाल पुत्र गंगाराम करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा १३६ राजस्थान भूराजस्व अधिनियम-१९५६ एवं नियम ३६९ राजस्थान भूराजस्व (सं. अभिलेख) नियम १९५७ के अन्तर्गत

ग्राम पटवारी के खाता संख्या २५५/१६० में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति किशनलाल पुत्र गंगोलिप्रा के स्थान पर सम्मानजनक रूप से किशनलाल पुत्र गंगाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)